

तार : पर्यावरण
Gram : PARYAVARAN

919
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवंफैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email Id - roayodhya@uppcb.in



उत्तरप्रदेशप्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

संदर्भसंख्या :
Ref. No. : 1127/O.A.No-584/2022/2023

दिनांक :
Dated : 21.3.2024

To,

The Deputy Registrar (Judicial),
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi-110001


Sub.: Compliance Report on behalf of respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 22.12.2023 passed by the Hon'ble NGT, New Delhi in OA No.- 584/2022 Durga Prasad Yadav & Others V/s. State of Uttar Pradesh and Others.

Hon'ble Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In Compliance of the order dated 22.12.2023 passed by the Hon'ble NGT, New Delhi in OA No.- 584/2022 Durga Prasad Yadav & Others V/s. State of Uttar Pradesh and Others, the Joint Committee report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action, Please.

Enclosures: As above

Sincerely Yours


(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer

Copy to: Chief Environment Officer (Circle-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information, Please.

Regional Officer

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF
RESPONDENT NO-3, UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE ORDER
DATED 22.12.2023 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 584 OF 2022, DURGA
PRASAD YADAV & OTHERS VS. STATE OF UTTAR
PRADESH & OTHERS.

1. That vide its order dated 22.12.2023 this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has disposed the Original Application. The relevant excerpt of the aforesaid order is as following:-

".....39. Respondent no. 3-UPPCB and Uttar Pradesh Ground Water Department are directed to inspect the Rain Water Harvesting Projects installed at 25 locations with total capacity of 4,98,999 cubic meters and verify the claim of respondent no. 5 for harvesting of rain water more than 150 % in ratio to extraction of ground water and file report in this regard.

40. Respondent no. 3 and Divisional Forest Officer, Ayodhya are directed to verify plantation of 7000 plants and 11000 plants in year 2022-23, Miyawaki afforestation on 150 sq.mtr. in year 2021-22, 11000

plants in year 2022-23 by respondent no. 5 and file report regarding survival and maintenance thereof....."

1. That in compliance to the para 39 of order dated 22.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ayodhya and Uttar Pradesh Ground Water Department, Ayodhya have jointly inspected the Rain Water Harvesting Projects installed at 25 locations on 22.02.2024, 27.02.2024 and 28.02.2024. It has been found that all the Rain Water Harvesting Projects have been completed and it has been calculated that total 525362.8 Cubic meter rain water is recharged through 25 Projects installed by the Respondent No-5, M/s Amrit Bottlers Pvt Ltd, Ayodhya which is approximately 150 percent of the total extraction of ground water by the company for its industrial use. The copy of the compliance report is being attached herewith as Annexure No-1 to this report.
2. That in compliance to the para 40 of order dated 22.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ayodhya and Divisional Forest Officer, Ayodhya have jointly inspected the afforestation and Miyawaki type of Jungle development made by Respondent No-5, M/s

Amrit Bottlers Pvt Ltd, Ayodhya and accordingly it has been reported by the Forest Department, Ayodhya Vide letter dated 19.03.2024. The copy of the letter dated 19.03.2024 is being attached herewith as Annexure No-2 to this report.

Therefore, the compliance report is being filed in compliance to the order dated 22.12.2023 for the perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Ayodhya

Dated: 21/3/2024

c
21/3/2024

(Dr TN Singh)

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Ayodhya

Annexure No-2

प्रेषक,

हाइड्रोलाजिस्ट,
भूगर्भ जल विभाग,
जनपद (मो) अयोध्या।

रोज मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद- अयोध्या।

पत्रांक- 673 / भूजल वि० ख० या / (एन०जी०टी०) / अयोध्या /

::दिनांक ::

मार्च / 6 2024

विषय- माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-584/2022 दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य यनाम, स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-943/OANO-584/2022/2023, दिनांक 03.02.2024 के संदर्भ में माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली के सन्दर्भित आदेश में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भूगर्भ जल विभाग, को उद्योग मेसर्स अमृत बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरिवंशपुर, जनपद अयोध्या द्वारा 25 स्थानों पर कुल 4,98,999 घन मीटर वर्षा जल संचयन हेतु स्थापित किए गये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना का सत्यापन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु भूगर्भ जल दोहन का 150% वर्षा जल संचयन के भी सत्यापन के आदेश प्राप्त है। सादर अवगत कराना है कि चैक डैम एवं तालाबों को गोद लेने, रिचार्ज गणना संबंधित कार्य कार्यालय भ्रम रोजगार/संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ग्राम्य विकास अभिकरण (मनरेगा) तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। उद्योग मेसर्स अमृत बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरिवंशपुर, जनपद अयोध्या द्वारा गोद लिये गये तालाबों संबंधित सूचना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-605 / भूजल वि० ख० या / (एन०जी०टी०) / अयोध्या / ::दिनांक:: 1 मार्च 2024 द्वारा कार्यालय भ्रम रोजगार/संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ग्राम्य विकास अभिकरण (मनरेगा) अयोध्या एवं बाराबंकी एवं लघु सिंचाई विभाग अयोध्या एवं बाराबंकी को सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया है। माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली के आदेश के क्रम में संदर्भित उद्योग के 25 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22, 27 एवं 28 फरवरी 2024 को भूगर्भ जल विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या द्वारा किया गया तथा फर्म द्वारा वर्णित स्थलों पर तालाब यथावत पाया गया। वर्णित 25 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थलों के रिचार्ज संबंधित गणना केन्द्रीय भूमि जन बोर्ड के उत्तरी क्षेत्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित उ०प्र० के गतिशील भूजल संसाधन (मार्च 2022 तक) में वर्णित बिन्दु 4.1. 6 अन्य स्रोतों से पुनर्भरण के अनुसार किया गया। गणना अनुसार संदर्भित उद्योग द्वारा कुल 525362.8 घन मीटर रिचार्ज किया जा रहा है तथा संबंधित उद्योग द्वारा स्थापित फ्लो मीटर डाटा के अनुसार कुल भूजल निष्कर्षण का लगभग 150 प्रतिशत रिचार्ज किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


हाइड्रोलाजिस्ट/नॉडल अधिकारी-वेब पोर्टल,
जिला भूगर्भ जल, प्रबंधन परिषद
जनपद-अयोध्या

AEE

18/3/2024

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक 183 /22-1, दिनांक: अयोध्या: 19-3-2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
अयोध्या।

विषय:- मा०एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 584/2022 दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या का पत्रांक 2885/22-1, दिनांक 05.02.2024।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मा०एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 584/2022 दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 22.12.2023 को पारित आदेश जिसका कुछ अंश निम्नवत् है:-

40. Respondent no. 3 and Divisional Forest Officer, Ayodhya are directed to verify plantation of 7000 plants and 11000 plants in year 2022-23, Miyawaki afforestation on 150 sq.mtr. in year 2021-22, 11000 plants in year 2022-23 by respondent no. 5 and file report regarding survival and maintenance thereof. के क्रम में मेसर्स अमृत वॉटलर्स प्रा०लिमिटेड, चांदपुर हरवंश, डाभासेमर, अयोध्या, उ०प्र० द्वारा रोपित पौधों के सत्यापन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा वन विभाग तथा उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अयोध्या की संयुक्त टीम का गठन किया गया था।

जिसके क्रम में टीम द्वारा मेसर्स अमृत वॉटलर्स प्रा०लिमिटेड, चांदपुर हरवंश, डाभासेमर, अयोध्या, उ०प्र० द्वारा रोपित पौधों का सत्यापन करते हुए निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी:-

क्र०सं०	वर्ष	स्थल का नाम	मा०एन०जी०टी० को सूचित की गयी पौध	गणना में पायी गयी जीवित पौध।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	उसरु	7000	540	मै० अमृत वॉटलर्स के लोगल एडवाइजर श्री रोहित श्रीवास्तव तथा पर्यावरण क्वाडिनेटर श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में 7000 पौधों का रोपण किया गया था किन्तु 540 पौधे ही जीवित बचे। रोप पौधों वरसात में पानी में डूब कर मृत हो गये। उनके स्थान पर गोसाईगंज बंधनपुर हरदोइया में पौधों का रोपण पुनः किया जा रहा है।
2	2022-23	गोसाईगंज बंधनपुर हरदोइया	11000	11000	-

उपरोक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16.03.2024 को मेसर्स अमृत वॉटलर्स प्रा०लिमिटेड, चांदपुर हरवंश, डाभासेमर, अयोध्या, उ०प्र० द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2021-22 में उसरु में 150 वर्ग मीटर भूमि में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण किया गया है तथा गोसाईगंज में 3000 वर्ग मीटर में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उसरु में रोपित 7000 पौधों जिनमें से लगभग 6460 पौधे जल शराव के कारण मृत हो गये थे, के स्थान पर गोसाईगंज में पुनः पौधों का रोपण किया जा चुका है।

उपरोक्त पत्र के क्रम में पुनः क्षेत्रीय वनाधिकारी, गया तथा अयोध्या रेंज से जांच कराये जाने पर पाया गया कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ण में प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार ही स्थिति पायी गयी, मेसर्स अमृत वॉटलर्स प्रा०लिमिटेड, चांदपुर हरवंश, डाभासेमर, अयोध्या, उ०प्र० द्वारा उनके पत्र दिनांक 16.03.2024 द्वारा बताये गये अनुसार मात्र यह पाया कि उरी रोपण क्षेत्रों के कुछ भाग में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कराया गया है, जिसको अभ्युक्ति में अंकित किया जा रहा है, कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें:-

स्थल का नाम	गाँव एन०जी०टी० को सूचित की गयी पौध	गणना में पायी गयी जीवित पौध।	अभ्युक्ति
3	4	5	6
22 उजुर	7000	540	उपरोक्त क्षेत्र में 7000 पौधों का रोपण किया गया था किन्तु 540 पौधों ही जीवित बचे। शेष पौधों परसात में पानी में डूब कर मृत हो गये। उनके स्थान पर गोसाईगंज बंधनपुर हरदोईया में पुनः पौधों का रोपण किया जा चुका है। उपरोक्त स्थल पर 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण किया गया है।
23 गोसाईगंज बंधनपुर हरदोईया	11000	11000	3000 वर्ग मीटर में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण किया गया है।

भवदीय,

(के०एन०सुधीर)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,

वन प्रभाग, अयोध्या।

3 / उक्तदिनांकित।

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, वन प्रभाग, अयोध्या को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(के०एन०सुधीर)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,

वन प्रभाग, अयोध्या।